प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय,

दिनांक–13.10.2023 (सं0–338)

फरार अपराधियों/उग्रवादियों की गिरफ्तारी, महत्वपूर्ण काण्डों के उदभेदन एवं गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी में सूचना देने/सहयोग करने हेतु पुरस्कार घोषित करने की नवीन नीति

- राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2018, वर्ष 2011, तथा वर्ष 2002 में गृह विभाग के विभिन्न संकल्प, ज्ञापांकों के माध्यम से फरार उग्रवादियों, भूपतियों की निजी सेनाओं एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार की राशि के निर्धारण तथा वितरण की घोषणा की गयी थी।
- वर्तमान परिवेश में अपराध की बदलती शैलियों, सोशल मीडिया के अपराधों, साइबर से जुड़ें आर्थिक अपराधों, अवैध बालू के कारोबार में तथा शराब के कारोबार में संलिप्त संगठित माफिया गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु पुरस्कार नीति में संशोधन हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के पत्रांक 1136, दिनांक 25.08.2023 के माध्यम से प्रस्ताव समर्पित किया गया था।
- प्रस्ताव के आलोक में गृह विभाग के द्वारा पुरानी नीतियों में संशोधन करते हुए गृह विभाग के ज्ञापांक 12227, दिनांक 10.10.2023 के द्वारा नई पुरस्कार नीति की घोषणा की गयी।
- अपराध की रोकथाम/नियंत्रण/विधि व्यवस्था/ लोक व्यवस्था संधारण/पुलिसकर्मियों का मनोबल एवं आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पर सकारात्मक प्रभाव डालने तथा आम जनता के द्वारा फरार अपराधियों/ उग्रवादियों /उप्रद्रवियों के सम्बन्ध में, काण्ड के उदभेदन, गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी तथा किसी आपराधिक/ साम्प्रदायिक घटना के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए प्रोतसाहित करने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9222, दिनांक 22.12.2011 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अतिरिक्त अपराधियों/ उग्रवादी की गिरफ्तार करने अथवा सूचना देने हेतु पुरस्कार की घोषणा होगी।

1. उग्रवादी संगठन के सम्बन्ध में उग्रवादी मामले के अन्तर्गत काण्ड दर्ज हो।
2. सात या सात वर्ष से अधिक सजा वाले दो या दो से अधिक काण्डों में वांछित अपराधी।
3. महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध में वांछित अपराधी।
4. माननीय न्यायालयों (HC/SC) द्वारा निर्देशित/ अनुश्रवित काण्डों में वांछित अपराधी।
5. बालू के अवैध कारोबार में लिप्त वांछित अभियुक्त।
6. साम्प्रदायिक तनाव/हिंसा/विधि व्यवस्था भंग करने के मामले में वांछित।
7. गुमशुदा व्यक्ति के बरामदगी पर।

- काण्डों की जघन्यता तथा अपराधी के फिरार रहने से लोक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के दृष्टिकोण से पुरस्कार की राशि की घोषणा की जाएगी।

- **पुरस्कार की पात्रताः**—फरार अपराधियों/उग्रवादियों की गिरफ्तारी, महत्वपूर्ण काण्डों के उदभेदन एवं गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी में सूचना देने/सहयोग करने वाला पुरस्कार का हकदार होगा। एक से अधिक व्यक्तियों की सहायता मिलने पर पुरस्कार की राशि सभी के बीच वितरित होगी।

- पुरस्कार की राशि 1 लाख से अधिक होने पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक, विधि व्यवस्था की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक, अभियान तथा विशेष शाखा नामित पदाधिकारी सदस्य के रूप में होंगे।

- **पुरस्कार घोषित करने एवं राशि निर्धारण की प्रक्रियाः—**

1. 3 लाख रुपये तक पुरस्कार की राशि घोषित करने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार सक्षम होंगे।
2. 3 लाख रुपये से अधिक की राशि की घोषणा पुलिस महानिदेशक, बिहार की अनुशंसा पर सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के द्वारा अनुमोदन आवश्यक होगा।
3. 1 लाख रुपये तक पुरस्कार की राशि घोषित करने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, अभियान सक्षम होंगे।
4. 50 हजार रुपये तक पुरस्कार की राशि घोषित करने हेतु क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षण सक्षम होंगे।
5. 25 हजार रुपये तक पुरस्कार की राशि घोषित करने हेतु पुलिस अधीक्षक सक्षम होंगे।

- पुलिस मुख्यालय स्तर से अधिकतम 300 पुरस्कार की घोषणा ही लागू रह सकती है।

- घोषित पुरस्कार से सम्बन्धित सूचना बिहार पुलिस/जिला पुलिस के वेबासाइट, सोशल मीडिया हैण्डल्स तथा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की जाएगी। बिहार पुलिस के वेबसाइट एवं सोशल मीडिया हैण्डल्स पर विभिन्न प्रकार के अपराधों में वांछित अपराधियों की सूची एवं उनपर घोषित पुरस्कार की राशि के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी समय समय पर उपलब्ध करायी जाएगी।

xxxxxxxx